



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 909]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016/पौष 10, 1938

No. 909]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2016

सं. 50/2016- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 1200(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.49/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2008, जिसे सा.का.नि.882(अ) दिनांक 24 दिसम्बर, 2008, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है यथा :—

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 51 के समक्ष कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “3824 99 24 या 3824 99 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) क्रम संख्या 58 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “अन्गालेष्ट विट्रीफायड टाइल्स (चाहे ये पालिस्ड हो या नहीं) या ग्लेस्ड टाइल्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 76 के समक्ष कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “8472 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 524/12/2016- एसटीओ (टीयू)]

जुबैर रियाज, निदेशक (सीमा-शुल्क)

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2008-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को सा.का.नि 882(अ) दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 5 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 491(अ) दिनांक 5 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2016

No. 50/2016- Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 1200(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/2008-Central Excise (N.T.), dated the 24th December, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 882(E), dated the 24th December, 2008, namely :-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against serial number 51, for the entries in column (2), the entries “3824 99 24 or 3824 99 90” shall be substituted;
- (ii) against serial number 58, for the entries in column (3), the entries "Unglazed Vitrified Tiles (whether polished or not) or Glazed Tiles" shall be substituted;
- (iii) serial number 59 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) against serial number 76, for the entry in column (2), the entry “8472 90” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2017.

[F. No. 524/12/2016-STO(TU)]

ZUBAIR RIAZ KAMILI, Director (Customs)

**Note:** The principal notification No.49/2008-Central Excise (N.T.), dated the 24th December, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 882(E), dated the 24th December, 2008 and last amended by notification No. 25/2016-Central Excise (N.T.), dated the 5<sup>th</sup> May, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 491(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2016.